



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24 2011/चैत्र 3, 1933

No. 508]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2011/CHAITRA 3, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2011

का.आ. 623(अ).—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (2) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 18 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III-खंड 4 में दिनांक 25 अगस्त, 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित न्यूनतम शिक्षक अर्हता मानकों के संबंध में उड़ीसा राज्य को कक्षा I-V और कक्षा VI-VIII के संबंध में निम्नलिखित छूट प्रदान करती है:-

- (क) कक्षा I-V में अध्यापक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा (जिस नाम से भी जानी जाती हो) में 2 वर्ष का डिप्लोमा; और
- (ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक की नियुक्ति के लिए शिक्षा में एक वर्ष स्नातक (बी.एड.)।

2. ऊपर उल्लिखित छूट अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी और इस पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

- (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिनांक 11 फरवरी, 2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। केवल वही व्यक्ति जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उन पर ही प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता

है। यह केवल सरकारी और स्थानीय निकाय के स्कूलों पर ही लागू नहीं होगा बल्कि सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर भी लागू होगा;

- (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता के मानकों के अनुसार राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधनों को भर्ती नियम संशोधित करने चाहिए;
- (iii) नियुक्ति के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की दिनांक 25 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं वाले, पात्र अभ्यर्थियों को ही राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद ही इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में छूट वाले पात्र अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा;
- (iv) शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रचार किया जाना चाहिए (राज्य से बाहर सहित);
- (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में निर्धारित की गई न्यूनतम अकादमिक और व्यावसायिक अर्हता न रखने वाले शिक्षकों के लिए राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि वे इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा में प्राप्त कर लें;
- (vi) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार दी जाएगी और धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार को कोई और छूट नहीं दी जाएगी।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 के अपने पत्र द्वारा जारी अध्यापक पात्रता परीक्षा दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के उप पैरा (iii) के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने के एक वर्ष के अंदर उड़ीसा सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति भी पात्र होंगे:-

- (क) कक्षा I से V के लिए - कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा समकक्ष);
- (ख) कक्षा VI से VIII के लिए - कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी.

4. इस अधिसूचना को राज्य सरकार के अनुरोध पर जारी किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार के पास अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम प्रदान करने अथवा प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की दिनांक 25 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं वाले व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

[फा. सं. 1-17/2010-ईई-4]

अनिता कौल, अपर सचिव

